

अधिकारियों एवं वरि. अधीनस्थों की शक्तियां एवं कर्तव्य

1. वरि. मंडल परिचालन प्रबंधक  
क) उपरे की एसओपी के अनुसार शक्तियों को काम में लेते हुए है एवं अनुसार कार्यरत ।  
ख) पूरे मंडल की गाडी संचालन की मॉनिटरिंग ।  
ग) सुगम गाडी संचालन के लिए अन्य मंडलों और विभागों से गहन संपर्क ।  
घ) प्रधान कार्यालय को गाडी संचालन की स्थिति से अवगत कराना ।
2. मंडल परिचालन प्रबंधक  
क) उपरे की एसओपी के अनुसार शक्तियों को काम में लेते हुए है एवं अनुसार कार्यरत ।  
ख) पूरे मंडल की गाडी संचालन की मॉनिटरिंग ।  
ग) प्रधान कार्यालय के साथ जुड़े हुए मंडलों के साथ संपर्कों को बनाए रखना ।  
घ) संरक्षा निरीक्षण की सघन मॉनिटरिंग ।  
ड) स्टेशन संचालन नियम ।
3. सहायक परिचालन प्रबंधक (माल)  
क) उपरे की एसओपी के अनुसार शक्तियों को काम में लेते हुए है एवं अनुसार कार्यरत ।  
ख) पूरे मंडल की गाडी संचालन की मॉनिटरिंग ।  
ग) प्रधान कार्यालय के साथ जुड़े हुए मंडलों के साथ संपर्कों को बनाए रखना ।  
घ) मंडल के माल संचालन की मॉनिटरिंग ।  
ड) रोक प्रबंधन एवं टर्मिनल प्रबन्धन प्रणाली की सघन मॉनिटरिंग ।
4. सहायक परिचालन प्रबंधक (कोचिंग)  
क) उपरे की एसओपी के अनुसार शक्तियों को काम में लेते हुए है एवं अनुसार कार्यरत ।  
ख) पूरे मंडल की गाडी संचालन की मॉनिटरिंग ।  
ग) मंडल के कोचिंग संचालन की मॉनिटरिंग ।  
घ) कोचिंग संचालन सूचना प्रणाली की सघन मॉनिटरिंग ।  
ड) गाडियों के समय पालन की मॉनिटरिंग ।
5. मुख्य कंट्रोलर(इंचार्ज)  
क) माल एवं कोचिंग की मॉनिटरिंग ।  
ख) एफओआईएसए सीओआईएस एवं पीएम को स्थिति से अवगत कराना ।  
ग) दुर्घटना की स्थिति में सभी संबंधितों को समय से सूचना देना एवं दुर्घटना लोग बुक का रखरखाव करना ।  
घ) कंट्रोल कार्यालय का संपूर्ण पर्यवेक्षण ।
6. क) गा डी संचालन पर्यवेक्षण एवं स्टाफ के स्टेशन संचालन नियम के अनुसार कार्य को सुनिश्चित करना ।  
ख) निर्विघ्न गाडी संचालन एवं गाडियों का समय अनुसार चलना सुनिश्चित करना ।  
ग) किसी भी असामान्य हादसा/विफलता की मंडल के अधिकारियों / कंट्रोल को तुरंत सूचना देना।  
घ) यात्रियों की शिकायतों पर प्राथमिकता से कार्रवाई करना ।  
ड) सक्षम स्टाफ को कार्य पर तैनात करना सुनिश्चित करना ।  
च) स्टेशन रिकॉर्ड का उचित रूप से रखरखाव करना ।  
छ) स्टेशन पर वीआईपी के आवागमन का पर्यवेक्षण ।

## निर्णय लेने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली विधि .

मालभाड़ा -

- क) एफओआईएस के माध्यम से मालगाडियों को नियंत्रित करना ( ऑनलाईन मॉनिटरिंग )।
- ख) वर्तमान नियमों के अनुसार रैक का आवंटन अर्थात पंजीकरण की तिथि से प्राथमिकता ।
- ग) विभिन्न ट्रैफिक की मॉनिटरिंग ।

यात्री .

- क) मेल/एक्स. तथा यात्री गाडियों के गठन की मॉनिटरिंग ।
- ख) मेल/एक्स. तथा यात्री गाडियों के समय पालन निष्पादन की मॉनिटरिंग
  - सही समय पर चलने वाली गाडियों की संख्या ।
  - समय खराब नहीं करने वाली गाडियां ।
  - गंतव्य पर 15 मिनट देरी तक पहुंचने वाली गाडियां ।
- ग) निम्न लिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मालभाड़ा तथा परिचालन में समग्र सुधार हेतु निर्णय .
  - प्रस्तावों को स्वीकार करना ।
  - प्रस्तावों की छंटाई ।
  - कार्यस्थल निरीक्षण ।
  - कर्मचारियों एवं अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श ।
  - परिचालन तथा आय के आंकड़ों का विश्लेषण ।
  - अंतिम निर्णय ।

इसके कार्यों के निष्पादन हेतु इसके द्वारा तय नियम -

प्रतिवर्ष रेलवे बोर्ड द्वारा परिचालन तथा आय के लक्ष्य निर्धारित कर प्रधान कार्यालय एवं मंडलों को दिए जाते हैं । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर संभव प्रयास किए जाते हैं । लक्ष्य प्राप्त करने के अलावा निम्न के संबंध में लगातार मॉनिटरिंग की जाती है -

- मेल/एक्स. गाडियों का समय पालन ।
- गाडी परिवहन में संरक्षा ।
- वैगन आवंटन की खुली एवं पारदर्शी प्रणाली ।
- जन सामान्य से प्राप्त शिकायतें एवं सुझाव ।

रेलवे सरकारी संगठन होने के कारण वित्तीय औचित्य की कसौटी सुनिश्चित की जाती है तथा सभी प्रकार के व्यर्थ के व्यय रोके जाते हैं ।

परिचालन विभाग द्वारा काम में लिए जाने वाले रेलवे कोड तथा मैनुअल -

- सामान्य तथा पूरक नियम ।
- परिचालन मैनुअल ।
- ब्लॉक वर्किंग मैनुअल ।
- कार्य समय सारणी ।
- दुर्घटना मैनुअल ।
- आपदा प्रबंधन ।

संधारित किए जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणियां -

परिचालन विभाग

माल-

- मालभाड़ा नीति ।
- माल का लदान एवं उतरान ।
- मालभाड़ा लक्ष्य ।
- परिचालन निष्पादन ।
- ऑडिटर ड्राफ्ट पैरा ।
- कोटा आवंटन ।
- पावर प्लान ।
- दैनिक प्रतिबंध सलाह ।
- कंटेनर लोडिंग ।
- सैन्य गतिविधि इत्यादि ।

कोचिंग ( यात्री )

- बजट में घोषित गाडियों की स्थिति ।
- एफटीआर की विशेष गाडियां ।
- मेला यातायात हेतु विशेष गाडियां ।
- ग्रीष्म र सर्दी / पूजा छुट्टियों की अवधि हेतु विशेष गाडियां ।
- एफटीआर पर कोच का विवरण ।
- प्रायोगिक ठहराव ।
- जन सामान्य समय सारणी ।
- समय पालन ।